

भारत सरकार / श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA / MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार-निष्पादन वर्ष 2013 के लिए आवेदन पत्र
APPLICATION FOR NATIONAL SAFETY AWARDS (NSA)
Performance Year – 2013
पत्तनों के लिए योजनाएं / SCHEMES FOR PORTS

यह आवेदन पत्र नीचे मांगे गए विवरण के साथ सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार समिति को मुंबई की किसी अनुसूचित बैंक में देय 200/-रु. के रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट सहित, डी.जी.फा.स.ली., क्षेत्रीय श्रम संस्थान परिसर, सेक्टर.47, फरीदाबाद, हरियाणा - 121010 को दिनांक **15.10.2014** तक पहुंच जाना चाहिए।

This form giving the particulars specified below with the **Crossed Demand Draft for a sum of Rs.200/-** drawn in favour of **'Secretary, National Safety Awards Committee,** payable at any scheduled bank in Mumbai is to reach the Secretary, **National Safety Awards Committee,** Directorate General Factory Advice Service & Labour Institutes, Regional Labour Institute campus, Sector-47, Faridabad-121010, not later than the closing Date **15.10.2014.**

टिप्पणी:

- (i) आवेदन पत्र भरने से पहले कृपया निर्देश पत्र ध्यान से पढ़ें।
- (ii) कृपया सूचना प्रत्येक मद/कॉलम में टाईप करके भेजे।
- (iii) जो लागू न हो, कृपया उसे काट दें।
- (iv) जो आवेदन पत्र अपूर्ण होगा या जिसमें पूरी सूचना नहीं दी जाएगी, उसे खारिज कर दिया जाएगा।
- (v) संख्या 2,3,4 और 5 में दिए गए तथ्यों एवं आंकड़ों की प्रामाणिकता के लिए, अपने पत्तन के गोदी सुरक्षा निरीक्षक से उन्हें आवेदनपत्र की पृष्ठ संख्या 3 की मद संख्या 6 पर दिए गए प्रमाणपत्र में सत्यापित एवं प्रमाणित करवाएं।
- (vi) यदि आवेदन पत्र में दी गई जानकारी गलत और असत्य पाई जाती है तो इन योजनाओं में भाग लेने के लिए ऐसी कंपनी को पाँच वर्षों के लिए प्रतिषेध कर दिया जाएगा।

NOTE:

- (i) Before filling up the application form, please read the instruction sheet carefully. Please type the information against all the items/columns.
- (ii) Please strike out whichever is not applicable.
- (iii) Applications, which are incomplete or without full information are liable to be rejected.
- (iv) For authenticity, the facts and figures furnished in items no. 2,3,4 and 5 after due verification should be certified by the Dock Safety Inspector having jurisdiction over your port in the certificate at item no.6 page no.3 of the application form.
- (v) If the information furnished in the application form is found incorrect, false or misleading at any point of time such companies shall be debarred from participation in this scheme for five years.

संगठन के बारे में जानकारी / INFORMATION ABOUT THE ORGANISATION:

1.

फोन नं.(एसटीडी कोड के साथ), फैक्स नं. तथा ई-मेल आई डी के साथ संगठन का नाम और पता Name and address of the Organization with telephone No. (With S.T.D.), FAX No. & E-mail ID	यदि फरीदाबाद का पता हो तो फोन नं. फैक्स नं. तथा ई-मेल आई डी, Faridabad address, if any with telephone No., Fax No. & E-mail ID
मोबाइल नं. / फोन नं.एसटीडी कोड के साथ संपर्क व्यक्ति का विवरण Details of the contact person with Mobile phone /phone with STD code.	फरीदाबाद न में संपर्क व्यक्ति का मोबाइल नं. / फोन नं. Details of contact person in Faridabad with Mobile No. / Phone No.

योजना संख्या / Scheme No. XI / XII

- जिसके लिए आवेदनपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, उस पुरस्कार योजना की संख्या पर चिह्न लगाएं।
Please tick mark the number of the Awards Scheme for which the application is submitted.
- योजना संख्या XI पोत पर काम करने के लिए है और योजना संख्या XII तट पर काम करने के लिए है।
Scheme No. XI is meant for work on board the ship & Scheme No. XII is meant for work on shore.

2.

पिछले तीन वर्षों के दौरान कामगारों की औसत संख्या {यह सूचना गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण अधिनियम, 1986) के अनुसार होनी चाहिए} Average Number of Workers during the last three years {As per the Dock Workers (Safety, Health & Welfare) Act, 1986}	2011	2012	2013

3.

उपर्युक्त मद संख्या 2 में परिभाषित कामगारों द्वारा किए गए कार्य के कुल श्रम घंटे Total man-hours worked by the workers as given in item No. 2 above.	2011	2012	2013

4.

गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण अधिनियम, 1986 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के तहत, पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचित करने योग्य दुर्घटनाओं की संख्या। Number of Accidents during the last three years Reportable under the Dock Workers (Safety, Health & Welfare) Act, 1986 & the Regulations framed there under.	वर्ष Year	सूचित करने योग्य दुर्घटनाओं की संख्या। Number of reportable accidents		
		क) घातक a) Fatal	* ख) पूर्ण स्थाई विकलांगता b) Permanent total disability	ग) अघातक c) Non-fatal
	2011			
	2012			
	2013			

* पूर्ण स्थायी विकलांगता का अर्थ ऐसी दुर्घटना से है, जिससे कामगार की कमाने की क्षमता की पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए।

* Total permanent disability means such accident cases, which lead to total loss of earning capacity of the worker.

5.

वर्ष Year	घातक दुर्घटनाओं के लिए मूल्यांकित आवृत्ति दर Weighted frequency rate Of fatal accidents**	पूर्ण स्थाई विकलांगता दुर्घटनाओं के लिए मूल्यांकित आवृत्ति Weighted Frequency rate of permanent total disability**	अघातक दुर्घटनाओं के लिए मूल्यांकित आवृत्ति Weighted Frequency Rate of non-fatal accidents**	कुल दुर्घटनाओं की मूल्यांकित आवृत्ति दर(नं. 2,3 व 4 का योग) Weighted Frequency rate of all accidents(sum of Col.2,3 & 4)	तीन वर्षों की औसत आवृत्ति दर Average Frequency Rate over a period of 3 years
1	2	3	4	5	6
2011					
2012					
2013					

** आकलित आवृत्ति दर प्राप्त करने के लिए सूत्र संलग्न निर्देश पत्र में दिया गया है।

The formula for calculating the Weighted Frequency Rate is given in enclosed instruction sheet.

आवृत्ति दर प्राप्त करने के लिए सूत्र

अघातक दुर्घटनाओं के लिए = $\frac{\text{अघातक दुर्घटनाओं की संख्या} \times 10^6}{\text{वर्ष के दौरान श्रमघंटे}}$
आकलित आवृत्ति दर प्राप्त करने के लिए सूत्र

घातक दुर्घटनाओं के लिए = $\frac{\text{घातक दुर्घटनाओं की संख्या} \times 10^6}{\text{वर्ष के दौरान श्रमघंटे}}$

स्थाई पूर्ण विकलांगता के लिए = $\frac{\text{स्थाई पूर्ण विकलांगता की दुर्घटनाओं की संख्या} \times 10^6}{\text{वर्ष के दौरान श्रमघंटे}}$

टिप्पणी : अघातक दुर्घटना वह दुर्घटना है, जिसमें अक्षमता 48 घंटे या अधिक समय तक रहती है।

FORMULA FOR CALCULATING FREQUENCY RATE

For Non-fatal accidents = $\frac{\text{No. of reportable non-fatal accidents}}{\text{Man hours worked during the year}} \times 10^6$

FORMULA FOR CALCULATING WEIGHTED FREQUENCY RATE

For fatal accidents = $\frac{\text{No. of reportable fatal accidents} \times 10}{\text{Man hours worked during the year}} \times 10^6$

For PTD = $\frac{\text{No. of reportable accidents for PTD} \times 10}{\text{Man hours worked during the year}} \times 10^6$

Note: A reportable non-fatal accident is an accident which causes disability for 48 hours or more.

6. पत्तन के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत गोदी सुरक्षा निरीक्षक द्वारा सत्यापन

मद संख्या 2,3,4 और 5 में दी गई सूचना और आंकड़ों का सत्यापन किया गया है और वे सही पाए गए। इसके अलावा वर्ष 2013 के दौरान गोदी सुरक्षा कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण) अधिनियम 1986 और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के उपबंधों का पत्तन / कंपनी ने कोई उल्लंघन नहीं किया है।

6. VERIFICATION BY DOCK SAFETY INSPECTOR HAVING JURISDICTION OVER THE PORT

The information and data given under item 2,3,4 & 5 are certified by me and found to be correct. Further, the port trust/company/installation has not been convicted for any breach of provisions under the Dock Workers (Safety, Health & Welfare) Act, 1986 and the Regulations framed there under, during the year 2013.

तारीख/ Date:

स्थान/ Place:

गोदी सुरक्षा निरीक्षक का नाम और हस्ताक्षर
Name & Signature of the Dock Safety Inspector

कार्यालय की मोहर
Office Seal

7. सलग्न डिमांड ड्राफ्ट का ब्यौरा *

PARTICULARS OF THE DEMAND DRAFT ENCLOSED

योजना क्रमांक/ SCHEME NO	डीडी क्रमांक D.D. Number	दिनांक Date	राशि Amount	बैंक Bank
(1) योजना XI पोत पर काम के लिए) SCHEME XI (for work on ships)				
(2) योजना XII (तट पर काम के लिए) SCHEME XII (for work on shore)				

* डिमांड ड्राफ्ट का ब्यौरा उस योजना के अंतर्गत भरें, जिसके लिए आवेदनपत्र भेजा गया है। योजना की संख्या पर भी (✓) चिह्न लगाएं।
(Fill up the details of the demand draft against that Scheme under which the application is submitted.
Also tick mark (✓) the scheme number)

प्रमाणपत्र

CERTIFICATE

8. मैं प्रमाणित करता हूँ कि/

I certify that:-

(i) मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार, उपर्युक्त सूचनाएं सही हैं।

The information furnished above is correct to the best of my knowledge and belief.

(ii) यह पत्तन / कंपनी, निष्पादन वर्ष 2013 के दौरान सुरक्षा के लिए बनाए हुए किसी भी कानून को तोड़ने के लिए दंडित नहीं हुआ है।

The port/company has not been convicted for breach of any of the statutory safety provisions during the performance year 2013

(iii) इस आवेदन पत्र में दिया हुआ ब्यौरा एक समिति द्वारा मूल्यांकित और अनुमोदित किया गया है। यह समिति इसी कार्य के लिए प्रबंधन द्वारा गठित की गई है और इसमें कामगारों का प्रतिनिधि भी शामिल है।

The details furnished have been scrutinized and approved by a Committee assigned for the purpose by the management, which has a worker representative.

घोषणा / DECLARATION

हम यह घोषणा करते हैं कि यदि पत्तन न्यास/कंपनी विजेता घोषित की जाती है, तो वह पुरस्कार" पुरस्कार समारोह के दौरान ग्रहण करेगी।

We hereby declare that in case the port trust/company is adjudged as a winner/runner up, the award will be received by the company during the Award Function.

तारीख / Date:

स्थान / Place

प्राधिकृत प्रबंधक का नाम और हस्ताक्षर

Name & signature of Authorised Manager

कार्यालय की मोहर

Office Seal

टिप्पणी : कार्यालय की सील/मोहर के बिना आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

Note : Without office seal/stamp the application shall be rejected.